

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला खरगोन म.प्र.

actw.kgn@mp.gov.in

क्रमांक/ 7684/आदिम/स्था0-2/2023

खरगोन,दिनांक.....7.7.23.....

:- आदेश :-

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-6-1/2021/एफ/9 दिनांक 28/06/2023 एवं कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश क्रमांक/स्था/2023-2024/12483/ भोपाल दिनांक 23/6/2023 में दिए गए निर्देशानुसार माननीय प्रभारी मंत्री, जिला-खरगोन एवं मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश तथा कलेक्टर महोदय, जिला खरगोन के अनुमोदन पश्चात निम्नलिखित कर्मचारियों के प्रशासकीय स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर-6 में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है ।

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्वैच्छिक/ प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रीता पाटीदार	प्राथमिक शिक्षक	शा अदलपुरा.वि.प्रा.	भीकनगाँव	एकीकृत शाला शा-वि.मा.3 खरगोन	खरगोन	स्वैच्छिक
2	मुकेश बर्मा	प्राथमिक शिक्षक	एकीकृत शाला शा-वि.मा.3 खरगोन	खरगोन	शा अदलपुरा.वि.प्रा.	भीकनगाँव	प्रशासकीय
3	रेखा चौहान	प्राथमिक शिक्षक	सैटेलाइट शाला बारका फलिया	शिरन्या	शासकीय प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 3 खरगोन	खरगोन	स्वैच्छिक
4	दिनेश सिसोदिया	प्राथमिक शिक्षक	बालक आश्रम सरवदेबला	भगवानपुरा	प्रा खारियामाल.वि.	शिरन्या	प्रशासकीय
5	भारती सोनी	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि मोमिनपुरा	खरगोन	एकीकृत मावि आरामपुरा	खरगोन	स्वैच्छिक
6	प्रवीण पंवार	प्राथमिक शिक्षक	शाप्रावि. क्रं 25 खरगोन	खरगोन	एकीकृत उमाविकेली.	सेगांवा	प्रशासकीय
7	रश्मि सोनी	प्राथमिक शिक्षक	प्रासेल्दा.वि.	भीकनगाव	प्रासगरिया.वि.	भीकनगांव	स्वैच्छिक
8	राहुल मीणा	प्राथमिक शिक्षक	प्रापचम्बा.वि.	भगवानपुरा	बालक प्रावि पथराड	महेश्वर	स्वैच्छिक
9	राजेन्द्र चौरसे	प्राथमिक शिक्षक	बालक प्रावि पथराड	महेश्वर	प्रापचम्बा.वि.	भगवानपुरा	प्रशासकीय
10	रुकमणी कुशवाह	प्राथमिक शिक्षक	शा ठनगाँव.वि.प्रा.क.	महेश्वर	शा मंडलेश्वर .वि.प्रा. .क्र01	महेश्वर	स्वैच्छिक

निरंतर.....//2//

N

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्वैच्छिक/ प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
11	सन्तोष सावनेर	प्राथमिक शिक्षक	प्राचीचगढ़.वि.	सेगांव	प्रादसनावल.वि.	सेगांव	स्वैच्छिक
12	आशा पटेल्या	प्राथमिक शिक्षक	प्राइन्डनगर.वि. लोनारा खरगोन.ख.वि.	खरगोन	एकीकृत शाला प्रा वि मोंगरगांव	भगवानपुरा	प्रशासकीय
13	विजय मण्डलोई	सहायक शिक्षक	एकीकृत उमावि मोतिपूरा 1-12	खरगोन	प्रावि भग्यापुर	भगवानपुरा	प्रशासकीय
14	प्रतापसिंह आंवले	सहायक शिक्षक	एकीकृत शा रणगांव.वि.मा. कक्षा 1 से 8 कक्षा तक	खरगोन	प्रारसगांव.वि.	सेगांव	प्रशासकीय
15	शिवकौर मोरे	सहायक शिक्षक	प्रा.वि. संजयनगर (हिंदी)	खरगोन	प्राटांडा.वि. दगवां	खरगोन	प्रशासकीय
16	दिनेश वर्मा	सहायक शिक्षक	एकीकृत मावि क्रं 07 खरगोन	खरगोन	प्रा हरियाशील.वि.	शिरन्या	प्रशासकीय

1. स्थानान्तरण आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर स्थानंतरित अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। स्वैच्छिक आधार पर किये गये स्थानान्तरण में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जावे। कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का एम्पलाई कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
2. एकल शिक्षक शाला एवं नवनि्युक्त शिक्षक हो तो कार्यमुक्त न किया जावे।
3. स्थानान्तरित कर्मचारी का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में 'ज्वाईन' करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जावेगा।
4. स्थानान्तरित कर्मचारी को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जावेगा, परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों सेवक अन्य अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्वीकृत किया जा सकेगा। शासकीय सेवक अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि का स्वैच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइजनान" मानी जावेगी। इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(मान 0 प्रभारी मंत्री एवं कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


 सहायक आयुक्त,
 जनजातीय कार्य विभाग खरगोन

//3//

पृ०क०/ 7685 /आदिम/स्था०२/२०२३
प्रतिलिपि-

खरगोन,दिनांक 7-7-23

01. निज सचिव, माननीय श्री कमल पटेल ,प्रभारी मंत्री, खरगोन एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास म०प्र० भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. आयुक्त,जनजातीय कार्य विभाग म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
03. कलेक्टर, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
04. संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास तथा अनुसूचित जाति विकास इन्दौर संभा.इन्दौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
06. जिला कोषालय अधिकारी जिला खरगोन ।
07. प्राचार्य,शास० उमावि०/हाईस्कूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
08. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
09. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. संबंधित श्री/ श्रीमती की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग खरगोन

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला खरगोन म.प्र.

actw.kgn@mp.gov.in

कमांक/ 7708 /आदिम/स्था0-2/2023

खरगोन,दिनांक.....7.7.23.....

-:: आदेश ::-

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक/एफ-6-1/2021/एफ/9 दिनांक 28/06/2023 एवं कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश कमांक/स्था/2023-2024/12483/ भोपाल दिनांक 23/6/2023 में दिए गए निर्देशानुसार माननीय प्रभारी मंत्री, जिला-खरगोन एवं मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश तथा कलेक्टर महोदय, जिला खरगोन के अनुमोदन पश्चात निम्नलिखित कर्मचारियों के प्रशासकीय स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर-6 में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है ।

कमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्वैच्छिक/ प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	योगेन्द्र पाटीदार	प्राथमिक शिक्षक	थावरिया फाल्गा डावला	भगवानपुरा	शाप्रावि. प्रेमनगर	खरगोन	प्रशासकीय
2	मुकेश मण्डलोई	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि छेण्डिया	झिरन्या	प्रावि खाडापुरा सेगांव	सेगांव	स्वैच्छिक
3	प्रताप चौहान	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि पटेलपुरा	निरंक	प्रावि छेण्डिया	झिरन्या	प्रशासकीय
4	दिनेश चौहान	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि खाडापुरा सेगांव	सेगांव	प्रावि चमलकपुरा	सेगांव	प्रशासकीय
5	शर्मिला मण्डलोई	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि आदिवासी फाल्गा पेनपुर	गोगावां	प्रावि तलकपुरा	सेगांव	प्रशासकीय
6	विद्यावती भावसार	प्राथमिक शिक्षक	शाप्रावि भनूर.	भीकनगांव	शाप्रावि. सोनीपुरा	खरगोन	स्वैच्छिक
7	परमानन्द गुप्ता	प्राथमिक शिक्षक	शाप्रावि. लखापूर	भीकनगांव	शाप्रावि. पंखालिया	झिरन्या	प्रशासकीय
8	विरेंद्र गुप्ता	प्राथमिक शिक्षक	शाप्रावि. मुफलिसपुरा खरगोन	खरगोन	शाप्रावि.. मालपुरा	भीकनगांव	प्रशासकीय
9	हरिओम पाटीदार	प्राथमिक शिक्षक	शाप्रावि.. मालपुरा	भीकनगांव	शा पिपरी.वि.वाप्रा.	खरगोन	प्रशासकीय

निरंतर.....//2//

✓

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्वैच्छिक/ प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
10	मनीषा मंडलोई	प्राथमिक शिक्षक	अमरसिंह फाल्गा अम्बाखेडा भगवानपुरा	भगवानपुरा	कन्या प्राथ पिपरी	खरगोन	स्वैच्छिक
11	सियाराम वास्करे	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रा.वि. ध्यानसिंह फाल्गा गढी	भगवानपुरा	प्रा.वि.झंझाड फा.बुन्दा	झिरन्या	प्रशासकीय
12	लखन नावें	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रा.वि. रसगांगली	भगवानपुरा	प्रा.वि.उपसरपंच फा.बुन्दा	झिरन्या	प्रशासकीय
13	वाहरिया नावें	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रा.वि. सदु फाल्गा डाबला	भगवानपुरा	सेटेलाईट गणस्या फा.	झिरन्या	प्रशासकीय
14	राज्यश्री सोनी	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि शहनाजपुरा भीकनगांव	भीकनगांव	अ.जा मोहल्ला प्रावि गोगावां	गोगावां	स्वैच्छिक

1. स्थानान्तरण आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। स्वैच्छिक आधार पर किये गये स्थानान्तरण में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जावे। कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का एम्पलाई कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
2. एकल शिक्षक शाला एवं नवनियुक्त शिक्षक हो तो कार्यमुक्त न किया जावे।
3. स्थानान्तरित कर्मचारी का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में 'ज्वाइन करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जावेगा।
4. स्थानान्तरित कर्मचारी को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जावेगा, परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों सेवक अन्य अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्वीकृत किया जा सकेगा। शासकीय सेवक अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि का स्वैच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइजनान" मानी जावेगी। इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(मान0 प्रभारी मंत्री एवं कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग खरगोन

निरंतर.....//3//

पृ०क०/ ७७०९/आदिम/स्था०२/२०२३
प्रतिलिपि-

//३//

खरगोन,दिनांक ७-७-२३

०१. निज सचिव, माननीय श्री कमल पटेल, प्रभारी मंत्री, खरगोन एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास म०प्र० भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
०२. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
०३. कलेक्टर, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
०४. संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास तथा अनुसूचित जाति विकास इन्दौर संभा.इन्दौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
०५. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
०६. जिला कोषालय अधिकारी जिला खरगोन ।
०७. प्राचार्य, शास० उमावि०/हाईस्कूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
०८. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
०९. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
१०. संबंधित श्री/ श्रीमती की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग खरगोन

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला खरगोन म.प्र.

actw.kgn@mp.gov.in

क्रमांक/ 7690/आदिम/स्था0-2/2023

खरगोन,दिनांक.....7-7-23.....

-:: आदेश ::-

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-6-1/2021/एफ/9 दिनांक 28/06/2023 एवं कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश क्रमांक/स्था/2023-2024/12483/ भोपाल दिनांक 23/6/2023 में दिए गए निर्देशानुसार माननीय प्रभारी मंत्री, जिला-खरगोन एवं मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश तथा कलेक्टर महोदय, जिला खरगोन के अनुमोदन पश्चात निम्नलिखित कर्मचारियों के प्रशासकीय स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर-6 में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है ।

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्वैच्छिक/ प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनिता अवासे	माध्यमिक शिक्षक	मावि मोहम्मदपुर गोगावां	गोगावां	शा. मावि काबरी वि. ख. भगवानपुरा	भगवानपुरा	प्रशासकीय
2	अनिल अहिरवाल	माध्यमिक शिक्षक	एकीकृत शाला, शासहाई. स्कूलसेल्दा	भीकनगांव	शाहाई स्कूल, बलखडिया	खरगोन	स्वैच्छिक
3	अर्चना बिरले	माध्यमिक शिक्षक	शा मावि क्र.23 नूतननगर	खरगोन	शा देवी अहिल्या, उमावि क्र02 खरगोन	खरगोन	स्वैच्छिक
4	कृष्णा नागराज	माध्यमिक शिक्षक	शाल हाईस्कू. अंदड	भीकनगांव	शाल हाईस्कू. बेहरामपुर	गोगावां	स्वैच्छिक
5	केलाश बर्वे	माध्यमिक शिक्षक	मावि रेहगुन	सेगांव	मावि पिपरी	खरगोन	प्रशासकीय
6	केलाश चौहान	माध्यमिक शिक्षक	मावि खडक्याघाट	भगवानपुरा	मावि जायमल फाल्या	भगवानपुरा	स्वैच्छिक
7	छतरसिंह वघेल	माध्यमिक शिक्षक	मा.वि. जलकोटा	महेश्वर	हाईस्कूल कोठाखई	गोगावां	प्रशासकीय
8	तेजपालसिंह चौहान	माध्यमिक शिक्षक	मावि घोडीबुजुर्ग	झिरन्या	मावि सेल	महेश्वर	प्रशासकीय
9	दशरथ वास्करे	माध्यमिक शिक्षक	मावि भाभरिया फाल्या	सेगांव	मावि रेहगुन	सेगांव	स्वैच्छिक
10	नारायण चांदीरे	माध्यमिक शिक्षक	उमावि मोतिपूरा	खरगोन	शामावि रतनपूर.	झिरन्या	प्रशासकीय

निरंतर.....//2//

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्वैच्छिक/प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
11	नितु चौहान	माध्यमिक शिक्षक	शा.हाईस्कूल विरुल	भीकनगांव	शा.हाईस्कूल लालखेड़ा	भीकनगांव	स्वैच्छिक
12	पवन कुमार पंवार	माध्यमिक शिक्षक	मावि पिपरीपाला	भगवानपुरा	शा.मावि देवली	गोगावां	स्वैच्छिक
13	प्रणव कुमार मिश्रा	माध्यमिक शिक्षक	शा.उ.मा.वि.तल कपुरा विकासखण्ड सेगांव	सेगांव	शा.उ.मा.वि.मेन गांव विकासखण्ड खरगोन	खरगोन	स्वैच्छिक
14	प्रमिला बंडोड	उच्च श्रेणी शिक्षक	शा.उत्कृष्ट विद्यालय सेगावां	सेगांव	शा.उच्चतर मा.वि. सरवर देवला	भगवानपुरा	प्रशासकीय
15	भीमनसिंह चौहान	माध्यमिक शिक्षक	एकीकृत मावि बनीहार	खरगोन	एकीकृत मावि कोठाखुर्द	गोगावां	प्रशासकीय

1. स्थानान्तरण आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर स्थानंतरित अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। स्वैच्छिक आधार पर किये गये स्थानान्तरण में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जावे। कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का एम्पलाई कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
2. एकल शिक्षक शाला एवं नव नियुक्त शिक्षक हो तो कार्यमुक्त न किया जावे।
3. स्थानान्तरित कर्मचारी का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में 'ज्याईन' करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जावेगा।
4. स्थानान्तरित कर्मचारी को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जावेगा, परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों सेवक अन्य अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्वीकृत किया जा सकेगा। शासकीय सेवक अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि का स्वैच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइजनान" मानी जावेगी। इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(मान 0 प्रभारी मंत्री एवं कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

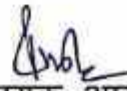

 सहायक आयुक्त,
 जनजातीय कार्य विभाग खरगोन

निरंतर.....//3//

पृ०क०/ 7691 /आदिम/स्था०2/2023
प्रतिलिपि-

खरगोन,दिनांक7-7-23.....

01. निज सचिव, माननीय श्री कमल पटेल ,प्रभारी मंत्री, खरगोन एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास म०प्र० भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. आयुक्त,जनजातीय कार्य विभाग म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
03. कलेक्टर, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
04. संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास तथा अनुसूचित जाति विकास इन्दौर संभा.इन्दौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
06. जिला कोषालय अधिकारी जिला खरगोन ।
07. प्राचार्य,शास० उमावि०/हाईस्कूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
08. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
09. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. संबंधित श्री/ श्रीमती की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग खरगोन

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला खरगोन म.प्र.
actw.kgn@mp.gov.in

कमांक/ 7688 /आदिम/स्था0-2/2023

खरगोन,दिनांक.....7-7-23.....

-:: आदेश ::-

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक/एफ-6-1/2021/एफ/9 दिनांक 28/06/2023 एवं कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश कमांक/स्था/2023-2024/12483/ भोपाल दिनांक 23/6/2023 मे दिए गए निर्देशानुसार माननीय प्रभारी मंत्री, जिला-खरगोन एवं मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश तथा कलेक्टर महोदय,जिला खरगोन के अनुमोदन पश्चात निम्नलिखित कर्मचारियों के प्रशासकीय स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर-6 में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता हैं ।

कमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्वैच्छिक/ प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पुरुषोत्तम चौहान	सहायक शिक्षक	एकीकृत उमाविकेली.	सेगावा	शाप्रावि. क्रं 25 खरगोन	खरगोन	स्वैच्छिक
2	ओमप्रकाश बिठारे	सहायक शिक्षक	प्रावि बडगाँव	भीकनगाव	प्रासेल्दा.वि.	भीकनगाव	प्रशासकीय
3	गुलाबसिंग मुजाल्दे	सहायक शिक्षक	प्रा रोमचिचली.वि.	खरगोन	प्रा.बरछा फा.वि. बोरवाल	शिरन्या	प्रशासकीय
4	रुद्रनारायण सिंह चंद्रावत	सहायक शिक्षक	प्रादौडवा.वि.	भीकनगाँव	शा पटेल फाल्या. खेरकुंडी	भगवानपुरा	प्रशासकीय
5	प्रदीप वर्मा	सहायक शिक्षक	प्रादौडवा.वि.	भीकनगाँव	शाप्रावि रामपूरा.	भीकनगाँव	प्रशासकीय
6	दिनेश पटेल	सहायक शिक्षक	शासकीय हाईस्कूल गोलवाडी	सेगावा	प्राभडलेन.वि.	शिरन्या	प्रशासकीय
7	साधना तिलोकचंद वर्मा	प्राथमिक शिक्षक पी.आई.टी.	हाईस्कूल सेल्दा भीकनगाँव	भीकनगाँव	शा कन्या उमावि गोगावां	गोगावां	स्वैच्छिक
8	शमीम खान	माध्यमिक शिक्षक खेलकुद वर्ग अ	उमावि बिस्टान	गोगावां	देवी अहिल्या उत्कृष्ट उमावि क्रं 01 खरगोन	खरगोन	स्वैच्छिक
9	मदन कोटारे	माध्यमिक शिक्षक	शाउमावि. वमनाला	भीकनगाँव	माकूडी.वि.	शिरन्या	प्रशासकीय

निरंतर.....//2//

1. स्थानान्तरण आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। स्वैच्छिक आधार पर किये गये स्थानान्तरण में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जावे। कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का एम्पलाई कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
2. एकल शिक्षक शाला एवं नवनियुक्त शिक्षक हो तो कार्यमुक्त न किया जावे।
3. स्थानान्तरित कर्मचारी का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में ज्वाइन करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जावेगा।
4. स्थानान्तरित कर्मचारी को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जावेगा, परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों सेवक अन्य अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्वीकृत किया जा सकेगा। शासकीय सेवक अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि का स्वैच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइजनाल" मानी जावेगी। इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(मान० प्रभारी मंत्री एवं कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


सहायक आयुक्त,

जनजातीय कार्य विभाग खरगोन
खरगोन, दिनांक 7-7-23

पृ०क०/ 7689/आदिम/स्था० 2/2023
प्रतिलिपि-

01. निज सचिव, माननीय श्री कमल पटेल, प्रभारी मंत्री, खरगोन एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास म०प्र० भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
02. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. कलेक्टर, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
04. संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास तथा अनुसूचित जाति विकास इन्दौर संभा. इन्दौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
06. जिला कोषालय अधिकारी जिला खरगोन।
07. प्राचार्य, शास० उमावि०/हाईस्कूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संबंधित श्री/ श्रीमती की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग खरगोन

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला खरगोन म.प्र.
actw.kgn@mp.gov.in

क्रमांक/ 7686 /आदिम/स्था0-2/2023

खरगोन,दिनांक.....7-7-23.....

-:: आदेश ::-

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-6-1/2021/एफ/9 दिनांक 28/06/2023 एवं कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश क्रमांक/स्था/2023-2024/12483/ भोपाल दिनांक 23/6/2023 मे दिए गए निर्देशानुसार माननीय प्रभारी मंत्री, जिला-खरगोन एवं मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश तथा कलेक्टर महोदय, जिला खरगोन के अनुमोदन पश्चात निम्नलिखित कर्मचारियों के प्रशासकीय स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर-6 में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है ।

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्टैटिस्टिक/ प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	संगीता बडोले	सहायक शिक्षक	प्रावि निहाली	शिरन्या	शा.प्रावि. मोमिनपुरा	खरगोन	प्रशासकीय
2	शिवजी पाटीदार	सहायक शिक्षक	प्रावि बिजलगांव गोगावां	गोगावां	प्रावि मोहम्मदपुर गोगावां	गोगावां	प्रशासकीय
3	प्रेमचंद चौहान	सहायक शिक्षक	शा.प्रावि अनकवाडी	भगवानपुरा	प्रावि मोघन	गोगावां	स्वैच्छिक
4	भगवान जावरा	सहायक शिक्षक	शा.प्रा.वि.शुम्की फाल्या	शिरन्या	शा.प्रावि अम्बिकापुरी	गोगावां	प्रशासकीय
5	पंकज रोकडे	सहायक शिक्षक	शा.प्रावि खेडीखुर्द	गोगावां	शा.प्रावि अंबाखेडी	शिरन्या	प्रशासकीय
6	नरेन्द्र सिंह चौहान	सहायक शिक्षक	शा.प्रावि प्रेमनगर	खरगोन	शा.प्रावि डालकी	सेगावें	प्रशासकीय
7	विकर्तन कुमरावत	सहायक शिक्षक	प्रा.वि.करही वि.ख.महेश्वर जिला खरगोन	महेश्वर	शा. प्रा.वि. पिपरी	भीकनगांव	स्वैच्छिक
8	गंदीप तिवारी	सहायक शिक्षक	शा.मावि सुन्देल	भीकनगांव	प्रावि रोशिया	भीकनगांव	स्वैच्छिक
9	विश्वजीत सिंह कुशवाह	सहायक शिक्षक	एकी.ठिवगांव दुर्गुर्ग	गोगावां	प्रावि आदिवासी फाल्या पेनपुर	गोगावां	प्रशासकीय
10	महेश अवे	सहायक शिक्षक	शा.प्रावि सोनीपुरा	खरगोन	शा.प्रावि भगूर	भीकनगांव	प्रशासकीय

निरंतर.....//2//



क्रमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्वैच्छिक/ प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
11	कृपान खान	सहायक शिक्षक	प्रावि दरयाव फाल्वा झिरन्या	झिरन्या	एकीकृत प्राभिरलाय .वि. भीकनगांव	भीकनगांव	स्वैच्छिक
12	राजेन्द्र राठीड	सहायक शिक्षक	शामावि गबला	भीकनगांव	प्रासलाई .वि. फाल्वा	भगवानपुरा	प्रशासकीय
13	सीमा सोहनी	सहायक शिक्षक	एकीकृत शाला शा.वि.मा.3 खरगोन	खरगोन	शामावि . आदलपुरा	भीकनगांव	प्रशासकीय
14	पुरुषोत्तम रिजवे	सहायक शिक्षक	शाप्रावि . रमडलेश्व	महेश्वर	शा .प्रावि.क. ठनगांव	महेश्वर	प्रशासकीय
15	भारती मालाकार	प्राथमिक शिक्षक	शाप्रावि. पंखालिया	झिरन्या	शाप्रावि. पोखराबाद	भीकनगांव	स्वैच्छिक
16	तिलोक पिंदारे	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि उदयपुर	झिरन्या	शाप्रावि. गोटिया	भगवानपुरा	प्रशासकीय

1. स्थानान्तरण आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर स्थानंतरित अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा । स्वैच्छिक आधार पर किये गये स्थानान्तरण में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जावे । कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का एम्पलाई कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे ।
2. एकल शिक्षक शाला एवं नवनियुक्त शिक्षक हो तो कार्यमुक्त न किया जावे ।
3. स्थानान्तरित कर्मचारी का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में 'ज्वाइन' करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जावेगा ।
4. स्थानान्तरित कर्मचारी को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जावेगा , परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों सेवक अन्य अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्वीकृत किया जा सकेगा । शासकीय सेवक अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि का स्वैच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइजनान" मानी जावेगी। इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

(मान0 प्रभारी मंत्री एवं कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


 सहायक आयुक्त,
 जनजातीय कार्य विभाग खरगोन

निरंतर.....//3//

पृ०क०/ 7687 /आदिम/स्था०२/२०२३
प्रतिलिपि-

खरगोन, दिनांक 7.7.23

01. निज सचिव, माननीय श्री कमल पटेल, प्रभारी मंत्री, खरगोन एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास म०प्र० भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
03. कलेक्टर, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
04. संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास तथा अनुसूचित जाति विकास इन्दौर संभा.इन्दौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
06. जिला कोषालय अधिकारी जिला खरगोन ।
07. प्राचार्य, शास० उमावि०/हाईस्कूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
08. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
09. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. संबंधित श्री/ श्रीमती की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग खरगोन

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला खरगोन म.प्र.

actw.kgn@mp.gov.in

कमांक/ ३३१५ /आदिम/स्था०-१/२०२३

खरगोन, दिनांक ०७/०७/२०२३

-:: आदेश ::-

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक/एफ-६-१/२०२१/एफ/९ दिनांक २८/०६/२०२३ एवं कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश कमांक/स्था/२०२३-२०२४/१२४८३/ भोपाल दिनांक २३/६/२०२३ में दिए गए निर्देशानुसार माननीय प्रभारी मंत्री, जिला-खरगोन एवं मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश तथा कलेक्टर महोदय, जिला खरगोन के अनुमोदन पश्चात निम्नलिखित कर्मचारियों के प्रशासकीय/स्वैच्छिक स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर-६ में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है ।

कमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्वैच्छिक/ प्रशासकीय
१	२	३	४	५	६	७	८
१	श्री सी०वी० सौवनेर	लेखापाल	सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग खरगोन	खरगोन	कन्या उमावि कमांक-१ खरगोन	खरगोन	स्वैच्छिक
२	श्री अशोक पाटीदार	लेखापाल	शा०उत्कृष्ट उमावि झिरन्या	झिरन्या	सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग खरगोन	खरगोन	स्वैच्छिक
३	श्री विजय कुमार जोशी	लेखापाल	शा०वालक उमावि मंडलेश्वर	महेश्वर	शा०उमावि घुघरियाखेडी	गोगावा	स्वैच्छिक
४	श्री उमेश मिश्रा	लेखापाल	विकास खंड शिक्षा कार्यालय झिरन्या	झिरन्या	शा०वालक उमावि मंडलेश्वर	महेश्वर	प्रशासकीय
५	श्री संतोष वर्मा	लेखापाल	शा०कन्या उमावि महेश्वर	महेश्वर	सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग खरगोन	खरगोन	प्रशासकीय
६	श्री रामलाल वर्मा	लेखापाल	एकीकृत कन्या उमावि गोगावा	गोगावा	विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय झिरन्या	झिरन्या	प्रशासकीय

१. स्थानान्तरण आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर स्थानंतरित अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा । स्वैच्छिक आधार पर किये गये स्थानान्तरण में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जावे । कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का एम्पलाई कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे ।
२. स्थानान्तरित कर्मचारी का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में 'ज्वाइन' करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जावेगा ।

निरंतर.....//२//

3. स्थानान्तरित कर्मचारी को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जावेगा परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों सेवक अन्य अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्वीकृत किया जा सकेगा। शासकीय सेवक अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि का स्वैच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइजनान" मानी जावेगी। इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(मान० प्रभारी मंत्री एवं कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


सहायक आयुक्त,

जनजातीय कार्य विभाग खरगोन
खरगोन, दिनांक ०७.१०.२०२३

पृ०क०/ ७७१५/आदिम/स्था०१/२०२३

.....
प्रतिलिपि-

01. निज सचिव, माननीय श्री कमल पटेल, प्रभारी मंत्री, खरगोन एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास म०प्र० भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. कलेक्टर, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
04. संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास तथा अनुसूचित जाति विकास इन्दौर संभा.इन्दौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
06. जिला कोषालय अधिकारी जिला खरगोन ।
07. प्राचार्य, शास० उमावि०/हाईस्कूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
08. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
09. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. संबंधित श्री/ श्रीमती की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


सहायक आयुक्त,
जनजातीय विभाग खरगोन

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला खरगोन म.प्र.

actw.kgn@mp.gov.in

क्रमांक/ ३३२५ /आदिम/स्था०-१/२०२३

खरगोन, दिनांक. ०३.०३.२०२३

-:: आदेश ::-

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-६-१/२०२१/एफ/९ दिनांक २८/०६/२०२३ एवं कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश क्रमांक/स्था/२०२३-२०२४/१२४८३/ भोपाल दिनांक २३/६/२०२३ में दिए गए निर्देशानुसार माननीय प्रभारी मंत्री, जिला-खरगोन एवं मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश तथा कलेक्टर महोदय, जिला खरगोन के अनुमोदन पश्चात कर्मचारियों के प्रशासकीय/स्वैच्छिक स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर-६ में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है ।

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्वैच्छिक/ प्रशासकीय
१	२	३	४	५	६	७	
१	श्री फत्तुलाल सेमले	वाहन चालक	जनपद पंचायत भीकनगोव	भीकनगोव	कार्यालय परियोजना प्रशासक, खरगोन	खरगोन	प्रशासकीय

१. स्थानान्तरण आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा । स्वैच्छिक आधार पर किये गये स्थानान्तरण में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जावे । कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का एम्पलाई कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे ।
२. स्थानान्तरित कर्मचारी का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में 'ज्वाइन' करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जावेगा ।
३. स्थानान्तरित कर्मचारी को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जावेगा ,परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों सेवक अन्य अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्वीकृत किया जा सकेगा । शासकीय सेवक अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि का स्वैच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइजनान" मानी जावेगी । इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

(मान० प्रभारी मंत्री एवं कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग खरगोन

निरंतर//२//

पृ०क०/ ३३२५/आदिम/स्था०१/२०२३
प्रतिलिपि-

खरगोन, दिनांक ०७/०७/२०२३

०१. निज सचिव, माननीय श्री कमल पटेल, प्रभारी मंत्री, खरगोन एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास म०प्र० भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
०२. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
०३. कलेक्टर, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
०४. संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास तथा अनुसूचित जाति विकास इन्दौर संभा. इन्दौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
०५. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
०६. जिला कोषालय अधिकारी जिला खरगोन ।
०७. प्राचार्य, शास० उमावि०/हाईस्कूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
०८. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
०९. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
१०. संबंधित श्री/ श्रीमती की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


सहायक आयुक्त,
जनजातीय विभाग खरगोन

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला खरगोन म.प्र.

actw.kgn@mp.gov.in

कमांक/ 7722/आदिम/स्था0-1/2023

खरगोन, दिनांक.....

-:: आदेश ::-

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक/एफ-6-1/2021/एफ/9 दिनांक 28/06/2023 एवं कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश कमांक/स्था/2023-2024/12483/ भोपाल दिनांक 23/6/2023 में दिए गए निर्देशानुसार माननीय प्रभारी मंत्री, जिला-खरगोन एवं मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश तथा कलेक्टर महोदय, जिला खरगोन के अनुमोदन पश्चात निम्नलिखित कर्मचारियों के प्रशासकीय/स्वैच्छिक स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर-6 में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है ।

कमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्वैच्छिक/ प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विजय वघेल	भृत्य	शा उमावि मिठावल विकास खंड झिरन्या	झिरन्या	उमावि रायबिड़पुरा विकास खण्ड-खरगोन	खरगोन	स्वैच्छिक
2	श्री सुनिल राठौड	भृत्य	हाईस्कूल उमरखली	गोगावां	कार्यालय सहायक परियोजना प्रशासक, खरगोन	खरगोन	प्रशासकीय
3	श्री देवदास पाटीदार	भृत्य	मावि श्रीखण्डी	सेगांव	कन्या उमावि कमांक 1 खरगोन विकास खण्ड-खरगोन	खरगोन	स्वैच्छिक (आपसी)
4	श्रीमति अजोध्या वाई	चौकीदार	कन्या उमावि कमांक 1 खरगोन	खरगोन	मावि श्रीखण्डी विकास खण्ड-सेगांव	सेगांव	स्वैच्छिक (आपसी)
5	श्री वट्टी सोलंकी	भृत्य	बालक छात्रावास गुलाबड महेश्वर	महेश्वर	मावि भुदरी विकास खंड महेश्वर	महेश्वर	स्वैच्छिक
6	श्री बलिराम सिरोले	भृत्य	कन्या छात्रावास भीकनगांव	भीकनगांव	बालक उमावि दौडवा विकास खण्ड- भीकनगांव	भीकनगांव	स्वैच्छिक
7	श्री लक्ष्मी वाई वर्मा	भृत्य	बालक छात्रावास डालकी	सेगांव	प्रशासकीय उमावि कैली विकास खण्ड-सेगांव	सेगांव	स्वैच्छिक
8	श्री सौंदन चौहान	भृत्य	कन्या आश्रम अहिरयौडा	गोगावां	विकास खंड शिक्षा अधिकारी भीकनगांव	भीकनगांव	स्वैच्छिक
9	श्रीमति समोती वाई खोडे	भृत्य	उमावि धुलकोट	भगवानपुरा	बालक आश्रम भगवानपुरा विकास खण्ड-भगवानपुरा	भगवानपुरा	स्वैच्छिक
10	श्री मुकेश गाडगे	भृत्य	शा.मा.वि. चौपाली	झिरन्या	कार्यालय परियोजना प्रशासक, खरगोन	खरगोन	प्रशासकीय
11	श्री जितेंद्र चौहान	भृत्य	कार्यालय परियोजना प्रशासक, खरगोन	खरगोन	बालक उमावि, वरुड	खरगोन	प्रशासकीय
12	श्री सतोष सोलंकी	भृत्य	मावि रायबिड़पुरा	खरगोन	मावि पनाली विकास खण्ड- सेगांव	सेगांव	प्रशासकीय
13	श्री अजय चौबे	भृत्य	मावि करोदिया महेश्वर	महेश्वर	बालक उमावि मंडलेश्वर	महेश्वर	प्रशासकीय
14	श्री दयाराम देवदिया रोंगर	भृत्य	भगवानपुर बालक छात्रावास	भगवानपुरा	बालक आश्रम पलासकुट विकास खण्ड-भगवानपुरा	भगवानपुरा	प्रशासकीय
15	श्रीमती प्रेमदाई, भृत्य	भृत्य	कन्या उमावि भीकनगांव	भीकनगांव	कन्या आश्रम आभापुरी झिरन्या	झिरन्या	प्रशासकीय

निरंतर/2/1



1. स्थानान्तरण आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर स्थानंतरित अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। स्वैच्छिक आधार पर किये गये स्थानान्तरण में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जावे। कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का एम्पलाई कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
2. स्थानान्तरित कर्मचारी का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में 'ज्वॉइन करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जावेगा।
3. स्थानान्तरित कर्मचारी को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जावेगा, परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों सेवक अन्य अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्वीकृत किया जा सकेगा। शासकीय सेवक अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि का स्वैच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइजनान" मानी जावेगी। इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(मान० प्रभारी मंत्री एवं कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


सहायक आयुक्त,

जनजातीय कार्य विभाग खरगोन
खरगोन, दिनांक ०७.०७.२०२३

पृ०क०/ ३३३/आदिम/स्था०१/२०२३
प्रतिलिपि-

01. निज सचिव, माननीय श्री कमल पटेल, प्रभारी मंत्री, खरगोन एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास म०प्र० भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
02. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. कलेक्टर, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
04. संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास तथा अनुसूचित जाति विकास इन्दौर संभा. इन्दौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
06. जिला कोषालय अधिकारी जिला खरगोन।
07. प्राचार्य, शास० उमावि०/हाईस्कूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संबंधित श्री/ श्रीमती की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग खरगोन

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला खरगोन म.प्र.

actw.kgn@mp.gov.in

कमांक/ 3729/आदिम/स्था0-1/2023

खरगोन, दिनांक...07.07.2023

-:: आदेश ::-

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक/एफ-6-1/2021/एफ/9 दिनांक 28/06/2023 एवं कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश कमांक/स्था/2023-2024/12483/ भोपाल दिनांक 23/6/2023 मे दिए गए निर्देशानुसार माननीय प्रभारी मंत्री, जिला-खरगोन एवं मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश तथा कलेक्टर महोदय, जिला खरगोन के अनुमोदन पश्चात निम्नलिखित कर्मचारियों के प्रशासकीय/स्वैच्छिक स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर-6 में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है ।

कमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्वैच्छिक/ प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती प्रीतीबाला परिहार	सहायक ग्रेड-3	शा. उमावि गोरडिया	भीकनगोंव	कन्या शिक्षा परिसर महेश्वर विकास खण्ड-महेश्वर	महेश्वर	स्वैच्छिक
2	श्री राजेन्द्र गुप्ता	सहायक ग्रेड-3	कन्या शिक्षा परिसर महेश्वर	महेश्वर	शा. उमावि गोरडिया विकास खण्ड-भीकनगोंव	भीकनगोंव	स्वैच्छिक
3	श्री राहुल सुराणे	सहायक ग्रेड-3	सहायक परियोजना प्रशासक खरगोन	खरगोन	कन्या उमावि झिरन्या	झिरन्या	प्रशासकीय
4	श्री अजय सिंह मण्डलोई	सहायक ग्रेड-3	शा. कन्या उमावि कं 01 खरगोन	खरगोन	सहायक परियोजना प्रशासक, खरगोन	खरगोन	प्रशासकीय
5	श्री देवन्द्र मण्डलोई	सहायक ग्रेड-3	सहायक परियोजना प्रशासक, खरगोन	खरगोन	हाईस्कूल उमरखली	गोगावां	प्रशासकीय
6	श्री सुनिल कुमार सैत्या	सहायक ग्रेड-3	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खरगोन	खरगोन	सहायक परियोजना प्रशासक, खरगोन	खरगोन	प्रशासकीय
7	श्री राजेश खोडे	सहायक ग्रेड-3	हाईस्कूल उमरखली	गोगावां	विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, खरगोन	खरगोन	प्रशासकीय
8	श्री रवजिल करोदिया	सहायक ग्रेड-3	उमावि दौडवा	भीकनगोंव	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय विकास खण्ड-गोगावां	गोगावां	स्वैच्छिक
9	श्री योगेश सिंह परिहार	सहायक ग्रेड-3	हाईस्कूल बडदिया सुर्ता महेश्वर	महेश्वर	कन्या शिक्षा परिसर, गोगावां विकास खण्ड-गोगावां	गोगावां	प्रशासकीय
10	श्री विकास नायक	सहायक ग्रेड-3	एकीकृत हाईस्कूल चौली	महेश्वर	शासकीय उमावि आशापुरा विकास खण्ड-महेश्वर	महेश्वर	स्वैच्छिक
11	श्री अशोक भार्गव	सहायक ग्रेड-3	जनपद पंचायत भीकनगोंव	भीकनगोंव	परियोजना प्रशासक महेश्वर	महेश्वर	प्रशासकीय

निरंतर/2//

//2//

12	श्रीमती गायत्री मंसारे	सहायक ग्रेड-3	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भगवानपुरा	भगवानपुरा	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, कार्यालय गोगावां	गोगावां	प्रशासकीय
----	------------------------------	------------------	---	-----------	--	---------	-----------

1. स्थानान्तरण आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर स्थानंतरित अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। स्वैच्छिक आधार पर किये गये स्थानान्तरण में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जावे। कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का एम्पलाई कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
2. स्थानान्तरित कर्मचारी का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में 'ज्वाइन' करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जावेगा।
3. स्थानान्तरित कर्मचारी को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जावेगा, परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों सेवक अन्य अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्वीकृत किया जा सकेगा। शासकीय सेवक अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि का स्वैच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइजनान" मानी जावेगी। इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(मान0 प्रभारी मंत्री एवं कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


सहायक आयुक्त,

जनजातीय कार्य विभाग खरगोन
खरगोन, दिनांक 07.07.2023

पृ0क0/ 77²¹/आदिम/स्था01/2023
प्रतिलिपि-

01. निज सचिव, माननीय श्री कमल पटेल, प्रभारी मंत्री, खरगोन एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास म0प्र0 भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
02. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. कलेक्टर, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
04. संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास तथा अनुसूचित जाति विकास इन्दौर संभा. इन्दौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
06. जिला कोषालय अधिकारी जिला खरगोन।
07. प्राचार्य, शास0 उमावि0/हाईस्कूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संबंधित श्री/ श्रीमती की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


सहायक आयुक्त,
जनजातीय विभाग खरगोन

कमांक/ 3718 /आदिम/स्था0-1/2023

खरगोन, दिनांक. 07.07.2023

-:: आदेश ::-

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक/एफ-6-1/2021/एफ/9 दिनांक 28/06/2023 एवं कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश कमांक/स्था/2023-2024/12483/ भोपाल दिनांक 23/6/2023 में दिए गए निर्देशानुसार माननीय प्रभारी मंत्री, जिला-खरगोन एवं मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश तथा कलेक्टर महोदय, जिला खरगोन के अनुमोदन पश्चात निम्नलिखित कर्मचारियों के प्रशासकीय/स्वैच्छिक स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर-6 में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है ।

कमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्वैच्छिक/ प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री अशोक मेहता	सहायक ग्रेड -2	शा.उमावि तलकपूरा	सैगावा	शा.उमावि पिपल्याबुजुर्ग	महेश्वर	स्वैच्छिक

1. स्थानान्तरण आदेश जारी होने के दो सप्ताह के भीतर स्थानंतरित अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा । स्वैच्छिक आधार पर किये गये स्थानान्तरण में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जावे । कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का एम्पलाई कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे ।
2. स्थानान्तरित कर्मचारी का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में 'ज्वाइन करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जावेगा।
3. स्थानान्तरित कर्मचारी को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जावेगा , परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों सेवक अन्य अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्वीकृत किया जा सकेगा । शासकीय सेवक अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि का स्वैच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइजनाल" मानी जावेगी। इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

(यह आदेश तत्काल प्राभावशील होगा।)

(मान0 प्रभारी मंत्री एवं कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग खरगोन

निरंतर.....//2//

पृ०क०/ ७७१९आदिम/स्था०१/२०२३
प्रतिलिपि-

खरगोन, दिनांक ०७/०७/२०२३

०१. निज सचिव, माननीय श्री कमल पटेल, प्रभारी मंत्री, खरगोन एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास म०प्र० भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
०२. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
०३. कलेक्टर, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
०४. संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास तथा अनुसूचित जाति विकास इन्दौर संभा. इन्दौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
०५. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
०६. जिला कोषालय अधिकारी जिला खरगोन ।
०७. प्राचार्य, शास० उमावि०/हाईस्कूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
०८. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
०९. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
१०. संबंधित श्री/ श्रीमती की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


सहायक आयुक्त,
जनजातीय विभाग खरगोन

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला खरगोन म.प्र.
actw.kgn@mp.gov.in

क्रमांक/ 7716 /आदिम/स्था0-1/2023

खरगोन, दिनांक. 07.07.2023

-:: आदेश ::-

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-6-1/2021/एफ/9 दिनांक 28/06/2023 एवं कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश क्रमांक/स्था/2023-2024/12483/ भोपाल दिनांक 23/6/2023 में दिए गए निर्देशानुसार माननीय प्रभारी मंत्री, जिला-खरगोन एवं मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश तथा कलेक्टर महोदय, जिला खरगोन के अनुमोदन पश्चात निम्नलिखित कर्मचारियों के प्रशासकीय/स्वैच्छिक स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर-6 में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है ।

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्वैच्छिक/ प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री पुष्पेन्द्र सिंह पंवार	सहायक ग्रेड - 2	विकासखण्ड शिक्षा कार्यालय भगवानपुरा	भगवानपुरा	विकासखण्ड शिक्षा कार्यालय खरगोन	खरगोन	प्रशासकीय

1. स्थानान्तरण आदेश जारी होने के दो सप्ताह के भीतर स्थानंतरित अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा । स्वैच्छिक आधार पर किये गये स्थानान्तरण में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जावे । कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का एम्पलाई कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे ।
 2. स्थानान्तरित कर्मचारी का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में 'ज्वाइन' करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जावेगा ।
 3. स्थानान्तरित कर्मचारी को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जावेगा , परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों सेवक अन्य अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्वीकृत किया जा सकेगा । शासकीय सेवक अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि का स्वैच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइजना" मानी जावेगी। इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
- (मान0 प्रभारी मंत्री एवं कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग खरगोन

निरंतर.....//2//

पृ०क०/ ३३१/आदिम/स्था०१/२०२३
प्रतिलिपि-

खरगोन, दिनांक ०२/०३/२०२३

०१. निज सचिव, माननीय श्री कमल पटेल, प्रभारी मंत्री, खरगोन एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास म०प्र० भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
०२. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
०३. कलेक्टर, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
०४. संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास तथा अनुसूचित जाति विकास इन्दौर संभा. इन्दौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
०५. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
०६. जिला कोषालय अधिकारी जिला खरगोन ।
०७. प्राचार्य, शास० उमावि०/हाईस्कूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
०८. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
०९. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
१०. संबंधित श्री/ श्रीमती की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


सहायक-आयुक्त,
जनजातीय विभाग खरगोन

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला खरगोन म.प्र.

actw.kgn@mp.gov.in

कमांक/ 7692 /आदिम/स्था0-2/2023

खरगोन,दिनांक.....7.7.23.....

-:: आदेश ::-

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक/एफ-6-1/2021/एफ/9 दिनांक 28/06/2023 एवं कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश कमांक/स्था/2023-2024/12483/ भोपाल दिनांक 23/6/2023 में दिए गए निर्देशानुसार माननीय प्रभारी मंत्री, जिला-खरगोन एवं मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश तथा कलेक्टर महोदय, जिला खरगोन के अनुमोदन पश्चात निम्नलिखित कर्मचारियों के प्रशासकीय स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर-6 में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है ।

कमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्वैच्छिक/ प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ममता पंवार	माध्यमिक शिक्षक	शा.हाई स्कूल लालखेड़ा	भीमनगोंव	शा.उ.मा.वि.नाग ज़िरी	गोगावा	स्वैच्छिक
2	मोहम्मद अतीक खान	माध्यमिक शिक्षक	शा.उमावि कुकडोल	गोगावा	शा.हाईस्कूल कोठाखुर्द	गोगावा	स्वैच्छिक
3	योगेश्वर चौधरी	उच्च श्रेणी शिक्षक	शा.बालक उमावि. मण्डेलेश्वर	महेश्वर	कन्या उमावि बरूड	खरगोन	प्रशासकीय
4	रघुनाथ चौहान	माध्यमिक शिक्षक	प्रावि डावरी	निरंक	शा.मावि दामखेडार	भगवानपुरा	प्रशासकीय
5	राजेश्वरी मालवे	माध्यमिक शिक्षक	नवीन मावि बेडी फल्या बैजापुर	गोगावा	शा.मावि आरामपुरा	खरगोन	प्रशासकीय
6	राधेश्याम रोकडे	माध्यमिक शिक्षक	शास.हाई स्कूल सिरवले, वि.ख.भ गवानपुरा	भगवानपुरा	शास.हाई स्कूल कदवाली	भगवानपुरा	स्वैच्छिक
7	रामलाल डावर	माध्यमिक शिक्षक	हाईस्कूल खेडीखुर्द	गोगावा	हाईस्कूल बेहरामपूर	गोगावा	स्वैच्छिक
8	राहुल कुमार पंचाल	माध्यमिक शिक्षक	हाईस्कूल शिवना	शिरन्या	एकीकृत उमावि कुकडोल	गोगावा	प्रशासकीय
9	लता वानखेडे	माध्यमिक शिक्षक	शासकीय हाईस्कूल मोलवाडी	गोगावा	कन्या मा.वि.शिरन्या	शिरन्या	प्रशासकीय

निरंतर.....//2//

✓

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्वैच्छिक/प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
10	विनोद पाटीदार	माध्यमिक शिक्षक	हाईस्कूल भामपुरा	महेश्वर	हाईस्कूल बलसगाँव	महेश्वर	स्वैच्छिक
11	विमला चौहान	माध्यमिक शिक्षक	मावि गाटलखेडी	सेगांव	हाईस्कूल तलकपुरा	सेगांव	स्वैच्छिक
12	शिव कुमार सावले	माध्यमिक शिक्षक	शा.हाईस्कूल जामली	खरगोन	शा.हाईस्कूल विरूल	भीकनगांव	प्रशासकीय
13	शेरसिंह बडोले	माध्यमिक शिक्षक	शा. हाईस्कूल भग्यापूर	भगवानपुरा	शा.कन्या उमावि क्रं 01 खरगोन	खरगोन	प्रशासकीय
14	श्री अखिलेश बडोले	उच्च श्रेणी शिक्षक	एकीकृत कन्या उमावि क्रं 01 खरगोन	खरगोन	शा.हाईस्कूल काकडदा	महेश्वर	प्रशासकीय

1. स्थानान्तरण आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर स्थानंतरित अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। स्वैच्छिक आधार पर किये गये स्थानान्तरण में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जावे। कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का एम्पलाई कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
2. एकल शिक्षक शाला एवं नवनियुक्त शिक्षक हो तो कार्यमुक्त न किया जावे।
3. स्थानान्तरित कर्मचारी का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में 'ज्वाइन' करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जावेगा।
4. स्थानान्तरित कर्मचारी को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जावेगा, परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों सेवक अन्य अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्वीकृत किया जा सकेगा। शासकीय सेवक अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि का स्वैच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइजनान" मानी जावेगी। इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(मान0 प्रभारी मंत्री एवं कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग खरगोन

निरंतर.....//3//

पृ०क०/ 7693/आदिम/स्था० 2/2023
प्रतिलिपि-

खरगोन, दिनांक 7-7-23

01. निज सचिव, माननीय श्री कमल पटेल, प्रभारी मंत्री, खरगोन एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास म०प्र० भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
03. कलेक्टर, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
04. संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास तथा अनुसूचित जाति विकास इन्दौर संभा. इन्दौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
06. जिला कोषालय अधिकारी जिला खरगोन ।
07. प्राचार्य, शास० उमावि०/हाईस्कूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
08. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
09. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. संबंधित श्री/ श्रीमती की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


 सहायक आयुक्त,
 जनजातीय कार्य विभाग खरगोन

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला खरगोन म.प्र.

actw.kgn@mp.gov.in

क्रमांक/ **7694** /आदिम/स्था0-2/2023

खरगोन,दिनांक.....**7.7.23**.....

-:: आदेश ::-

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-6-1/2021/एफ/9 दिनांक 28/06/2023 एवं कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश क्रमांक/स्था/2023-2024/12483/ भोपाल दिनांक 23/6/2023 में दिए गए निर्देशानुसार माननीय प्रभारी मंत्री, जिला-खरगोन एवं मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश तथा कलेक्टर महोदय, जिला खरगोन के अनुमोदन पश्चात निम्नलिखित कर्मचारियों के प्रशासकीय स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर-6 में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है ।

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्वैच्छिक/ प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री आनंदराम सोनगरे	माध्यमिक शिक्षक	मावि क्रं 11 खरगोन	खरगोन	मावि भगवानपुरा	भगवानपुरा	प्रशासकीय
2	श्रीमती मधुबाला संगराडे	माध्यमिक शिक्षक	बा.मा.वि. गोगावां	गोगावां	कन्या मा.वि. मातमुर	महेश्वर	प्रशासकीय
3	संगीता वर्मा	माध्यमिक शिक्षक	हाईस्कूल मोहनखेडी	महेश्वर	हाईस्कूल बेडिया	महेश्वर	प्रशासकीय
4	सावित्री पाटीदार	माध्यमिक शिक्षक	मावि भगवानपुरा	भगवानपुरा	मावि क्रं 11 खरगोन	खरगोन	स्वैच्छिक
5	सुखराम भास्करे	माध्यमिक शिक्षक	मावि बिटनेरा	भीकनगाँव	मावि गोंविंदपुरा	भीकनगाँव	प्रशासकीय
6	सुरेन्द्रसिंह मंडलोई	माध्यमिक शिक्षक	मा.वि. भाचलपुरा बुजुर्ग	महेश्वर	मा.वि. जलकोटा	महेश्वर	प्रशासकीय
7	हेमकुवर राठी	माध्यमिक शिक्षक	मावि बलखड बुजुर्ग भग्यापूर	भगवानपुरा	शा.मावि सिनखेडा	खरगोन	स्वैच्छिक
8	जयंत कृष्णराव गीते	प्रधानपाठक	एकीकृत शा.हाई.स्कूल वि.ख.खरगोन	खरगोन	एकीकृत मावि सिनखेडा बरूड संकुल	खरगोन	प्रशासकीय
9	कमला शिंदे	प्रधानपाठक	शा.मावि टेमला	खरगोन	एकीकृत मा.वि.भसनेर	खरगोन	स्वैच्छिक

निरंतर.....//2//



1. स्थानान्तरण आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर स्थानंतरित अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। स्वैच्छिक आधार पर किये गये स्थानान्तरण में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जावे। कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का एम्पलाई कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
2. एकल शिक्षक शाला एवं नवनियुक्त शिक्षक हो तो कार्यमुक्त न किया जावे।
3. स्थानान्तरित कर्मचारी का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में 'ज्वाइन' करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जावेगा।
4. स्थानान्तरित कर्मचारी को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जावेगा, परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों सेवक अन्य अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्वीकृत किया जा सकेगा। शासकीय सेवक अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि का स्वैच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइजनाल" मानी जावेगी। इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(मान0 प्रभारी मंत्री एवं कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


सहायक आयुक्त,

जनजातीय कार्य विभाग खरगोन
खरगोन, दिनांक 7.7.23

पृ0क0/ 7695/आदिम/स्था02/2023
प्रतिलिपि-

01. निज सचिव, माननीय श्री कमल पटेल, प्रभारी मंत्री, खरगोन एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास म0प्र0 भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
02. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. कलेक्टर, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
04. संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास तथा अनुसूचित जाति विकास इन्दौर संभा.इन्दौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
06. जिला कोषालय अधिकारी जिला खरगोन।
07. प्राचार्य, शास0 उमावि0/हाईस्कूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संबंधित श्री/ श्रीमती की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग खरगोन

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला खरगोन म.प्र.

actw.kgn@mp.gov.in

क्रमांक/7696 /आदिम/स्था0-2/2023

खरगोन,दिनांक.....7.7.23.....

-:: आदेश ::-

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-6-1/2021/एफ/9 दिनांक 28/06/2023 एवं कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश क्रमांक/स्था/2023-2024/12483/ भोपाल दिनांक 23/6/2023 में दिए गए निर्देशानुसार माननीय प्रभारी मंत्री, जिला-खरगोन एवं मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश तथा कलेक्टर महोदय, जिला खरगोन के अनुमोदन पश्चात निम्नलिखित कर्मचारियों के प्रशासकीय स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर-6 में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है ।

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्वैच्छिक/ प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कोमल मंडलोई	प्राथमिक शिक्षक	इजीएस शाला लावरिया झील	शिरन्या	सेटेलाइट शाला, गावडाहला फाल्वा	शिरन्या	प्रशासकीय
2	मालसिंह मंडलोई	प्राथमिक शिक्षक	प्रा.वि. जामन्या पानी	शिरन्या	सेटेलाइट शाला, गावडाहला फाल्वा	शिरन्या	प्रशासकीय
3	चंदना पटेल	प्राथमिक शिक्षक	एकी. मावि सिनखेडा	गोगावां	शा.प्रावि लिखी	खरगोन	प्रशासकीय
4	चैतराम पटीदार	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रावि लिखी	खरगोन	एकी. मावि सिनखेडा	गोगावां	प्रशासकीय
5	श्रीमति इन्दुबाला साधू	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रावि दुर्गा कालोनी बरूड संकूल	खरगोन	एकी.मावि रेटवा	गोगावां	प्रशासकीय
6	सारिका परसाई	प्राथमिक शिक्षक	एकी.मावि रेटवा	गोगावां	शा.प्रावि दुर्गा कालोनी बरूड संकूल	खरगोन	स्वैच्छिक
7	हरियाव राव	प्राथमिक शिक्षक	एकी.शा.उमावि लोनारा	खरगोन	प्रा.वि. राणापुर	खरगोन	प्रशासकीय
8	मनोज कानवा	प्राथमिक शिक्षक	प्रा.वि. राणापुर	खरगोन	उ.मा.वि. लोनारा / प्रा.वि. लोनारा	खरगोन	प्रशासकीय
9	चंदना मालवीया	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि भग्यापुर	भगवानपुरा	एकीकृत उमावि मोतिपुरा 1-12	खरगोन	प्रशासकीय
10	श्री कृष्णलाल पाटीदार	प्राथमिक शिक्षक	एकीकृत मा. वि. ऊन बुजुर्ग	खरगोन	प्रा. वि. अवावल्या	खरगोन	प्रशासकीय

निरंतर.....//2//

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्वैच्छिक/ प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	संजय पाटीदार	प्राथमिक शिक्षक	प्रा. वि. मकावल्या	खरगोन	एकीकृत मा. वि. ऊन दुर्ग	खरगोन	प्रशासकीय
1.2	कालूराम भासकले	प्राथमिक शिक्षक	एकीकृत मा. वि. कोठाखुई	सोगावां	शास. प्रा. वि. गाव डाहला फाल्या सिरवेल	भगवानपुरा	प्रशासकीय
1.3	कमल सागोरे	प्राथमिक शिक्षक	शास. प्रा. वि. गाव डाहला फाल्या सिरवेल	भगवानपुरा	एकीकृत मा. वि. कोठाखुई	सोगावां	प्रशासकीय
1.4	ज्योति भसने	प्राथमिक शिक्षक	एकीकृत मा. वि. भसनेर	खरगोन	प्रा. वि. ब्रह्मा	सेगांव	प्रशासकीय
1.5	मुकेश वर्मा	प्राथमिक शिक्षक	प्रा. वि. ब्रह्मा	सेगांव	एकीकृत मा. वि. भसनेर	खरगोन	प्रशासकीय

1. स्थानान्तरण आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। स्वैच्छिक आधार पर किये गये स्थानान्तरण में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जावे। कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का एम्पलाई कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
2. एकल शिक्षक शाला एवं नवनियुक्त शिक्षक हो तो कार्यमुक्त न किया जावे।
3. स्थानान्तरित कर्मचारी का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में 'ज्वार्डन' करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जावेगा।
4. स्थानान्तरित कर्मचारी को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जावेगा, परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों सेवक अन्य अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्वीकृत किया जा सकेगा। शासकीय सेवक अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि का स्वैच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइजनान" मानी जावेगी। इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(मान 0 प्रभारी मंत्री एवं कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग खरगोन

निरंतर.....//3//

//3//

पृ0क0/ 7697/आदिम/स्था02/2023
प्रतिलिपि-

खरगोन,दिनांक7.2.23.....

01. निज सचिव, माननीय श्री कमल पटेल ,प्रभारी मंत्री, खरगोन एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास म0प्र0 भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. आयुक्त,जनजातीय कार्य विभाग म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
03. कलेक्टर, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
04. संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास तथा अनुसूचित जाति विकास इन्दौर संभा.इन्दौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
06. जिला कोषालय अधिकारी जिला खरगोन ।
07. प्राचार्य,शास0 उमावि0/हाईस्कूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
08. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
09. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. संबंधित श्री/ श्रीमती की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग खरगोन

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला खरगोन म.प्र.

actw.kgn@mp.gov.in

क्रमांक/ **7698** /आदिम/स्था0-2/2023

खरगोन,दिनांक.....**7.7.23**.....

-:: आदेश ::-

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-6-1/2021/एफ/9 दिनांक 28/06/2023 एवं कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश क्रमांक/स्था/2023-2024/12483/ भोपाल दिनांक 23/6/2023 में दिए गए निर्देशानुसार माननीय प्रभारी मंत्री, जिला-खरगोन एवं मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश तथा कलेक्टर महोदय, जिला खरगोन के अनुमोदन पश्चात निम्नलिखित कर्मचारियों के प्रशासकीय स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर-6 में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है ।

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्वैच्छिक/ प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चांदनी पति अरविन्द	प्राथमिक शिक्षक	प्रा.वि. रसगौंव	सेगांव	एकीकृत शा.मा.वि.रणगांव कक्षा 1 से 8 कक्षा तक	खरगोन	प्रशासकीय
2	माया परमार	प्राथमिक शिक्षक	प्रा.वि. खेसवाल फाल्गा	खरगोन	प्रा.वि. टांडा बगवां	खरगोन	प्रशासकीय
3	टिमा वर्मा	प्राथमिक शिक्षक	प्रा.वि. टांडा बगवां	खरगोन	प्रा.वि. संजयनगर (हिंदी)	खरगोन	प्रशासकीय
4	सीमा पाटीदार	प्राथमिक शिक्षक	प्रा.वि. जामुन झिरी	खरगोन	प्रावि भाडली	खरगोन	प्रशासकीय
5	रजनी आसके	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि भाडली	खरगोन	प्रा.वि. जामुन झिरी	खरगोन	प्रशासकीय
6	मोहनलाल मुकाती	प्राथमिक शिक्षक	प्रा.वि. दौडवा	भीकनगौंव	शा.प्रावि पडावा	भीकनगौंव	प्रशासकीय
7	महेन्द्र सिंह चौहान	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रावि पडावा	भीकनगौंव	प्रा.वि. दौडवा	भीकनगौंव	प्रशासकीय
8	दिलीप बाबे	प्राथमिक शिक्षक	प्रा.वि. धवलखेड़ी	शिरन्या	प्रा.वि.घोछा	खरगोन	प्रशासकीय
9	कृष्णा क्षेत्रे.	प्राथमिक शिक्षक	प्रा.वि. बेड़ी फाल्गा(रेहगौंव)	भीकनगांव	प्रा.वि. मगरिया	गोगावां	प्रशासकीय
10	जयश्री.	प्राथमिक शिक्षक	प्रा.वि. मगरिया	गोगावां	प्रा.वि. बेड़ी फाल्गा(रेहगौंव)	भीकनगांव	प्रशासकीय

निरंतर.....//2//



क्रमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकारा खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकारा खण्ड	स्वैच्छिक/प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
11	विक्रम पाटीदार	प्राथमिक शिक्षक	प्रा.वि. मुख्यालय पाल्घा	भगवानपुरा	शा.प्रा.वि मेहरमेहरघट्टी	गोगावा	प्रशासकीय
12	राजेन्द्र बानूनगो	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रा.वि मेहरमेहरघट्टी	गोगावा	प्रा.वि. मुख्यालय पाल्घा	भगवानपुरा	प्रशासकीय
13	अर्चना गोर	प्राथमिक शिक्षक	प्रा.वि.नवलपुरा	भीकनगांव	प्रा.वि माईगेंडी	भीकनगांव	प्रशासकीय
14	बल्ल्याण नागर	प्राथमिक शिक्षक	प्रा.वि माईगेंडी	खरगोन	प्रा.वि.नवलपुरा	भीकनगांव	प्रशासकीय
15	हरिओम पटेल	प्राथमिक शिक्षक	प्रा.वि चांदपुरा	भगवानपुरा	शा. प्रा.वि बिरोडी	खरगोन	प्रशासकीय

1. स्थानान्तरण आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर स्थानंतरित अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। स्वैच्छिक आधार पर किये गये स्थानान्तरण में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जावे। कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का एम्पलाई कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
2. एकल शिक्षक शाला एवं नयनियुक्त शिक्षक हो तो कार्यमुक्त न किया जावे।
3. स्थानान्तरित कर्मचारी का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में 'ज्वाइन' करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जावेगा।
4. स्थानान्तरित कर्मचारी को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जावेगा, परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों सेवक अन्य अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्वीकृत किया जा सकेगा। शासकीय सेवक अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि का स्वैच्छिक अनुपस्थिति मानकर "छाड़जाना" मानी जावेगी। इसके अलावा उराके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(मान 0 प्रभारी मंत्री एवं कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग खरगोन

निरंतर.....//3//

पृ०क०/ 7699/आदिम/स्था० 2/2023
प्रतिलिपि-

खरगोन, दिनांक 7.7.23

01. निज सचिव, माननीय श्री कमल पटेल, प्रभारी मंत्री, खरगोन एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास म०प्र० भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
03. कलेक्टर, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
04. संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास तथा अनुसूचित जाति विकास इन्दौर संभा. इन्दौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
06. जिला कोषालय अधिकारी जिला खरगोन ।
07. प्राचार्य, शास० उमावि०/हाईस्कूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
08. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
09. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. संबंधित श्री/ श्रीमती की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


 सहायक आयुक्त,
 जनजातीय कार्य विभाग खरगोन

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला खरगोन म.प्र.

actw.kgn@mp.gov.in

क्रमांक/ 7700 /आदिम/स्था0-2/2023

खरगोन,दिनांक.....7-7-23....

-:: आदेश ::-

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-6-1/2021/एफ/9 दिनांक 28/06/2023 एवं कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश क्रमांक/स्था/2023-2024/12483/ भोपाल दिनांक 23/6/2023 में दिए गए निर्देशानुसार माननीय प्रभारी मंत्री, जिला-खरगोन एवं मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश तथा कलेक्टर महोदय, जिला खरगोन के अनुमोदन पश्चात निम्नलिखित कर्मचारियों के प्रशासकीय स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर-6 में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है ।

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्वैच्छिक/ प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गिरिश पाटीदार	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रा.वि.कमोद बाड़ा वि.ख.शिरन्या जिला खरगोन	शिरन्या	शा.प्रा.वि.बिरोठी	खरगोन	प्रशासकीय
2	देवीसिंह वास्करे	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रा.वि.बिरोठी	खरगोन	शा.प्रा.वि.कमोद बाड़ा वि.ख.शिरन्या जिला खरगोन	शिरन्या	प्रशासकीय
3	भारती लेवा	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि . भडवाली	सेगांव	प्रावि महुमांडली	शिरन्या	प्रशासकीय
4	आशा वर्मा	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि महुमांडली	शिरन्या	प्रावि . भडवाली	सेगावां	प्रशासकीय
5	लोकेश पटेल	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि क्रं ढाबला क्रं 02	भगवानपुरा	प्रावि निहाली	शिरन्या	प्रशासकीय
6	सुनिता चौहान	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि निहाली	शिरन्या	प्रावि क्रं ढाबला क्रं 02	भगवानपुरा	प्रशासकीय
7	द्वीता सेन	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रावि. मोमिनपूरा	खरगोन	प्रावि निहाली	शिरन्या	प्रशासकीय
8	यशवंत चौहान	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि खेडीखानपुरा	गोगावां	प्रावि चारवाडी फाल्या	गोगावां	प्रशासकीय
9	सुनिता सोनी	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि चारवाडी फाल्या	गोगावां	प्रावि खेडीखानपुरा	गोगावां	प्रशासकीय
10	रमेशचंद्र दवाडे	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि गोंटीया	भगवानपुरा	शा.प्रावि करही	महेश्वर	प्रशासकीय

निरंतर.....//2//



क्रमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्वैच्छिक/प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
11	गणेश अमोदे	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि तडवी फैल्या	भगवानपुरा	प्रावि डोल	गोगावां	प्रशासकीय
12	रूपेश पटेल	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि डोल	गोगावां	प्रावि तडवी फैल्या	भगवानपुरा	प्रशासकीय
13	संतोष मोदी	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि जमराफालिया	झिरन्या	शा.प्रावि सेल	महेश्वर	प्रशासकीय
14	गंगाराम मोरे	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रावि सेल	महेश्वर	प्रावि जमराफालिया	झिरन्या	प्रशासकीय
15	बिरेन्द्र मण्डलोई	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि जांगल्या फैल्या	भीकनगाँव	प्रावि जोगवाडा	सेगांव	प्रशासकीय

1. स्थानान्तरण आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर स्थानंतरित अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। स्वैच्छिक आधार पर किये गये स्थानान्तरण में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जावे। कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का एम्पलाई कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
2. एकल शिक्षक शाला एवं नवनियुक्त शिक्षक हो तो कार्यमुक्त न किया जावे।
3. स्थानान्तरित कर्मचारी का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में 'ज्वाइन' करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जावेगा।
4. स्थानान्तरित कर्मचारी को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जावेगा, परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों सेवक अन्य अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्वीकृत किया जा सकेगा। शासकीय सेवक अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि का स्वैच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइजनान" मानी जावेगी। इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(मान0 प्रभारी मंत्री एवं कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग खरगोन

निरंतर.....//3//

पृ०क०/ 7701/आदिग/स्था० 2/2023
प्रतिलिपि-

खरगोन, दिनांक 7-7-23

01. निज सचिव, माननीय श्री कमल पटेल, प्रभारी मंत्री, खरगोन एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास म०प्र० भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
03. कलेक्टर, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
04. संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास तथा अनुसूचित जाति विकास इन्दौर संभा. इन्दौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
06. जिला कोषालय अधिकारी जिला खरगोन ।
07. प्राचार्य, शास० उमावि०/हाईस्कूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
08. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
09. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. संबंधित श्री/ श्रीमती की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


 सहायक आयुक्त,
 जनजातीय कार्य विभाग खरगोन

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला खरगोन म.प्र.

actw.kgn@mp.gov.in

क्रमांक/ 7702 /आदिम/स्था0-2/2023

खरगोन, दिनांक... 7.7.23

-:: आदेश ::-

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-6-1/2021/एफ/9 दिनांक 28/06/2023 एवं कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश क्रमांक/स्था/2023-2024/12483/ भोपाल दिनांक 23/6/2023 में दिए गए निर्देशानुसार माननीय प्रभारी मंत्री, जिला-खरगोन एवं मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश तथा कलेक्टर महोदय, जिला खरगोन के अनुमोदन पश्चात निम्नलिखित कर्मचारियों के प्रशासकीय स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर-6 में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है ।

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्थायिक/ प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मनीष पाटीदार	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि जोगवाडा	सेगांव	प्रावि जांगल्या फाल्या	भीकनगाँव	प्रशासकीय
2	लक्ष्मी नारायण वर्मा	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि तडवीपुरा	सेगांव	प्रावि धवल्यावाडी	सेगावाँ	प्रशासकीय
3	राधेश्याम मण्डलोई	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि धवल्यावाडी	सेगांव	प्रावि तडवीपुरा	सेगावें	प्रशासकीय
4	संतोष कुमार व्यास	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि देवकापुरा	सेगांव	मावि मूजाल्दापुरा	सेगावें	प्रशासकीय
5	संख्या संतोष शर्मा	प्राथमिक शिक्षक	मावि मूजाल्दापुरा	सेगांव	प्रावि देवकापुरा	सेगावाँ	प्रशासकीय
6	सजन मकवाने	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि पथराड	महेश्वर	शा.प्रावि बाणी	महेश्वर	प्रशासकीय
7	गोपाल कृष्ण गुप्ता	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रावि बाणी	महेश्वर	प्रावि पथराड	महेश्वर	प्रशासकीय
8	मेना वास्करे	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि पालदा गुरद	जिरन्या	शा.प्रावि कावरी	भगवानपुरा	प्रशासकीय
9	वर्षा मोनी	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि मोहम्मदपुर गोगावाँ	गोगावाँ	प्रावि बिजलगांव गोगावाँ	गोगावाँ	प्रशासकीय
10	मुकेश पिपीले	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि मोघन	गोगावाँ	शा.प्रावि अनकवाडी	भगवानपुरा	प्रशासकीय

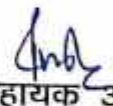
निरंतर.....//2//

N

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्वैच्छिक/ प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
11	नरेन्द्र मंशारे	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रावि गोपालपुरा	गोगावां	प्रावि रामसिंह फाल्या	भगवानपुरा	प्रशासकीय
12	मेधा चौहान	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि रामसिंह फाल्या मोगरगांव	भगवानपुरा	शास. प्रावि खानपुरा	गोगावां	प्रशासकीय
13	मुकुटलाल गुप्ता	प्राथमिक शिक्षक	शास. प्रावि खानपुरा	गोगावां	प्रावि रामसिंह फाल्या मोगरगांव	भगवानपुरा	प्रशासकीय
14	शेरसिंह पटेल	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि वेकल्या महेश्वर	महेश्वर	कन्या प्रावि मातमुर	महेश्वर	स्वैच्छिक
15	मनीषा कुमरावत	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि सिलोटिया	सेगांव	शा.प्रावि जामुनसिरी	सेगांव	प्रशासकीय

1. स्थानान्तरण आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर स्थानंतरित अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। स्वैच्छिक आधार पर किये गये स्थानान्तरण में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जावे। कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का एम्पलाई कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
2. एकल शिक्षक शाला एवं नवनियुक्त शिक्षक हो तो कार्यमुक्त न किया जावे।
3. स्थानान्तरित कर्मचारी का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में 'ज्वाइन करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जावेगा।
4. स्थानान्तरित कर्मचारी को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जावेगा, परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों सेवक अन्य अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्वीकृत किया जा सकेगा। शासकीय सेवक अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि का स्वैच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइजनान" मानी जावेगी। इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(मान0 प्रभारी मंत्री एवं कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


 सहायक आयुक्त,
 जनजातीय कार्य विभाग खरगोन

निरंतर.....//3//

पृ०क०/ 7703 आदिम/स्था०2/2023
प्रतिलिपि-

खरगोन, दिनांक 7-7-23

01. निज सचिव, माननीय श्री कमल पटेल, प्रभारी मंत्री, खरगोन एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास म०प्र० भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
03. कलेक्टर, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
04. संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास तथा अनुसूचित जाति विकास इन्दौर संभा. इन्दौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
06. जिला कोषालय अधिकारी जिला खरगोन ।
07. प्राचार्य, शास० उमावि०/हाईस्कूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
08. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
09. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. संबंधित श्री/ श्रीमती की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


 सहायक आयुक्त,
 जनजातीय कार्य विभाग खरगोन

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला खरगोन म.प्र.

actw.kgn@mp.gov.in

कमांक/ 7704 /आदिम/स्था0-2/2023

खरगोन,दिनांक.....7.7.23.....

-:: आदेश ::-

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक/एफ-6-1/2021/एफ/9 दिनांक 28/06/2023 एवं कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश कमांक/स्था/2023-2024/12483/ भोपाल दिनांक 23/6/2023 मे दिए गए निर्देशानुसार माननीय प्रभारी मंत्री, जिला-खरगोन एवं मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश तथा कलेक्टर महोदय,जिला खरगोन के अनुमोदन पश्चात निम्नलिखित कर्मचारियों के प्रशासकीय स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर-6 में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है ।

कमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्वैच्छिक/ प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रामेश्वर वर्मा	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रावि जामुनझिरी	सेगांव	प्रावि सिलोटिया	सेगांव	प्रशासकीय
2	संजय पाटीदार	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि रेजलाफाल्या	भगवानपुरा	शा.प्रावि पान्यादंड	खरगोन	प्रशासकीय
3	हिरदाराम चौहान	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रावि पान्यादंड	खरगोन	प्रावि रेजलाफाल्या	भगवानपुरा	प्रशासकीय
4	आशिफ शेख	प्राथमिक शिक्षक	बालक अंग्रेजी आश्रम	गोगावां	प्रा.वि. सुखलाल फाल्या, DISE-23270610004	भगवानपुरा	प्रशासकीय
5	सज्जाद खान	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रावि अम्बिकापुरी	शिरन्या	शा.प्रा.वि.मुमकी फाल्या	शिरन्या	प्रशासकीय
6	मीमा मोलंकी	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रा.वि.पुराना पथराड्ड, वि.ख.महेश्वर	महेश्वर	शा.प्रावि हीरापूर	गोगावां	प्रशासकीय
7	माणकचंद मावले	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रावि हीरापूर	गोगावां	शा.प्रा.वि.पुराना पथराड्ड, वि.ख.महेश्वर	महेश्वर	प्रशासकीय
8	मुमन डुडवे	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रावि अंबाखेडी	शिरन्या	शा.प्रावि खेडीखुर्द	गोगावां	प्रशासकीय
9	महेन्द्र निगोले	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रावि अमरसिंह फाल्या	भगवानपुरा	शा.प्रावि अंबाखेडा	भगवानपुरा	स्वैच्छिक
10	संजय मण्डलोई	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रावि किशनपुरा	खरगोन	शा.प्रावि बगवां	खरगोन	प्रशासकीय

निरंतर.....//2//



क्रमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्वैच्छिक/प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
11	लता कुमरावत	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रावि कुओं फाल्या	भगवानपुरा	शा.प्रावि लालबेडी	खरगोन	प्रशासकीय
12	सुर्यकान्त मंडलाई	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रावि लालबेडी	खरगोन	शा.प्रावि गोंटिया	भगवानपुरा	प्रशासकीय
13	रचना कर्मा	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रावि गारी	भगवानपुरा	शा.प्रावि सुखपुरी	खरगोन	प्रशासकीय
14	उर्मिला सोलंकी	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रावि सुखपुरी	खरगोन	शा.प्रावि गारी	भगवानपुरा	प्रशासकीय
15	कुसुम कोचले	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रावि डालकी	सेगांव	शा.प्रावि शाहपुरा	गोगावां	प्रशासकीय

1. स्थानान्तरण आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर स्थानंतरित अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। स्वैच्छिक आधार पर किये गये स्थानान्तरण में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जावे। कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का एम्पलाई कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
2. एकल शिक्षक शाला एवं नवनियुक्त शिक्षक हो तो कार्यमुक्त न किया जावे।
3. स्थानान्तरित कर्मचारी का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में 'ज्वाइन करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जावेगा।
4. स्थानान्तरित कर्मचारी को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जावेगा, परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों सेवक अन्य अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्वीकृत किया जा सकेगा। शासकीय सेवक अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि का स्वैच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइजनान" मानी जावेगी। इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(मान० प्रभारी मंत्री एवं कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


 सहायक आयुक्त,
 जनजातीय कार्य विभाग खरगोन

निरंतर.....//3//

पृ०क०/ 7705/आदिम/स्था०२/२०२३
प्रतिलिपि-

खरगोन, दिनांक 7-7-23

01. निज सचिव, माननीय श्री कमल पटेल, प्रभारी मंत्री, खरगोन एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास म०प्र० भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
03. कलेक्टर, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
04. संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास तथा अनुसूचित जाति विकास इन्दौर संभा.इन्दौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
06. जिला कोषालय अधिकारी जिला खरगोन ।
07. प्राचार्य, शास० उमावि०/हाईस्कूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
08. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
09. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. संबंधित श्री/ श्रीमती की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


 सहायक आयुक्त,
 जनजातीय कार्य विभाग खरगोन

क्रमांक/ 7706 /आदिम/स्था0-2/2023

खरगोन,दिनांक.....7.7.23.....

-:: आदेश ::-

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-6-1/2021/एफ/9 दिनांक 28/06/2023 एवं कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश क्रमांक/स्था/2023-2024/12483/ भोपाल दिनांक 23/6/2023 में दिए गए निर्देशानुसार माननीय प्रभारी मंत्री, जिला-खरगोन एवं मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश तथा कलेक्टर महोदय,जिला खरगोन के अनुमोदन पश्चात निम्नलिखित कर्मचारियों के प्रशासकीय स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर-6 में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है ।

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्वैच्छिक/ प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नारायण चौहान	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रावि शाहपुरा	गोगावां	प्रा.वि.नवाइफाल्या रूपाटा	शिरन्या	प्रशासकीय
2	बंचला निगवाल	प्राथमिक शिक्षक	शा.बालक उमावि बरुड	खरगोन	सैटेलाईट शाला कोल्यापूरा	खरगोन	प्रशासकीय
3	प्रिती राठौर	प्राथमिक शिक्षक	सैटेलाईट शाला कोल्यापूरा	खरगोन	शा.बालक उमावि बरुड	खरगोन	प्रशासकीय
4	मुकेश पाटीदार	प्राथमिक शिक्षक	हाई स्कूल इदारतपुर	खरगोन	मा.वि. अकावल्या	खरगोन	प्रशासकीय
5	संतोष पाटीदार	प्राथमिक शिक्षक	हाईस्कूल सेजला	भगवानपुरा	प्रावि केशवपूरा	सेगांवां	प्रशासकीय
6	अन्नपूर्णा मंशारे	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि देवझिरी	भगवानपुरा	प्रावि बठोली	महेश्वर	प्रशासकीय
7	मजन सिंह मिर्सादिया	प्राथमिक शिक्षक	मावि तेड	शिरन्या	प्रावि खोदराफाल्या	भगवानपुरा	प्रशासकीय
8	नीरज गुप्ता	प्राथमिक शिक्षक	शास.प्रा.वि.पिपरी वि.ख.भीकनगाँव	भीकनगाँव	प्रावि घटवाडी	भीकनगाँव	प्रशासकीय
9	खुमसिंह चौहान	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रावि छोटी भडवाली	सेगांव	शा.प्रावि सिंगाडिया फाल्या	सेगांव	स्वैच्छिक
10	राजेन्द्र लेवा	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रावि सिंगाडिया फाल्या	सेगांव	शा.प्रावि छोटी भडवाली	सेगांव	स्वैच्छिक

निरंतर.....//2//

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्वैच्छिक/ प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
11	हरदाम चौहान	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रा.वि. प्रावि गद्दी भगवानपुरा	भगवानपुरा	प्रा.वि. गेहकल्या	झिरन्या	प्रशासकीय
12	मेवकराम चौहान	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि रोथिया	भीकनगांव	शा.प्रा.वि मुन्देल	भीकनगांव	प्रशासकीय
13	मधु चौविमिया/मुर्यवंशी	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रावि रामपुरा	भीकनगांव	प्रा.वि. दीडवा	भीकनगांव	स्वैच्छिक
14	चन्दर डाबर	प्राथमिक शिक्षक	प्रा.वि.हरणमाल	खरगोन	प्रावि यावरिया फाल्गा	भगवानपुरा	प्रशासकीय

1. स्थानान्तरण आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर स्थानन्तरित अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। स्वैच्छिक आधार पर किये गये स्थानान्तरण में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जावे। कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का एम्पलाई कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
2. एकल शिक्षक शाला एवं नवनियुक्त शिक्षक हो तो कार्यमुक्त न किया जावे।
3. स्थानान्तरित कर्मचारी का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में 'ज्याईन करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जावेगा।
4. स्थानान्तरित कर्मचारी को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जावेगा, परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों सेवक अन्य अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्वीकृत किया जा सकेगा। शासकीय सेवक अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि का स्वैच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइजनाल" मानी जावेगी। इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(मान0 प्रभारी मंत्री एवं कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग खरगोन

निरंतर.....//3//

पृ०क०/ ७७०७/आदिम/स्था०२/२०२३
प्रतिलिपि-

खरगोन,दिनांक७.७.२३.....

०१. निज सचिव, माननीय श्री कमल पटेल ,प्रभारी मंत्री, खरगोन एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास म०प्र० भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
०२. आयुक्त,जनजातीय कार्य विभाग म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
०३. कलेक्टर, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
०४. संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास तथा अनुसूचित जाति विकास इन्दौर संभा.इन्दौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
०५. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
०६. जिला कोषालय अधिकारी जिला खरगोन ।
०७. प्राचार्य,शास० उमावि०/हाईस्कूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
०८. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
०९. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
१०. संबंधित श्री/ श्रीमती की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


 सहायक आयुक्त,
 जनजातीय कार्य विभाग खरगोन

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला खरगोन म.प्र.

actw.kgn@mp.gov.in

क्रमांक/ 7710 /आदिम/स्था0-2/2023

खरगोन, दिनांक.....7-7-23.....

-:: आदेश ::-

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-6-1/2021/एफ/9 दिनांक 28/06/2023 एवं कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश क्रमांक/स्था/2023-2024/12483/ भोपाल दिनांक 23/6/2023 में दिए गए निर्देशानुसार माननीय प्रभारी मंत्री, जिला-खरगोन एवं मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश तथा कलेक्टर महोदय, जिला खरगोन के अनुमोदन पश्चात निम्नलिखित कर्मचारियों के प्रशासकीय स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर-6 में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है ।

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्वैच्छिक/ प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रेवाराम नागराज	प्राथमिक शिक्षक	मावि चिरिया	शिरन्या	प्रावि बिडगुर्द	गोगावां	स्वैच्छिक
2	चंदन मंडलोई	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रावि पिपल्सोपा	भगवानपुरा	शा.प्रावि मोमिनपुरा	खरगोन	प्रशासकीय
3	तुलसीराम वर्मा	प्राथमिक शिक्षक	एकीकृत गुलशिरा	भगवानपुरा	मावि बिटनेरा	भीकनगाँव	प्रशासकीय
4	सरदन सिंह कनेल	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि पुतला	शिरन्या	प्रावि काछलाफाल्या	भगवानपुरा	स्वैच्छिक
5	शीतल पंड्या	प्राथमिक शिक्षक	एकीकृत मावि सिरलाथ	गोगावां	प्रावि बालक अंगेजी आश्रम गोगावां	गोगावां	स्वैच्छिक
6	रीना निगवाल	प्राथमिक शिक्षक	शा.उमावि नागझिरी	गोगावां	शा.प्रावि मोहद	शिरन्या	स्वैच्छिक
7	संगीता मोरे	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रावि हेमीपत्थर	शिरन्या	शा.प्रावि रामसिंह फाल्या बडीया	भीकनगाँव	स्वैच्छिक
8	ममता यादव	प्राथमिक शिक्षक	प्रावि पथराड	महेश्वर	प्रावि रहीमपुरा	खरगोन	प्रशासकीय
9	सदाशिव पाटीदार	प्राथमिक शिक्षक	शा.पटेल फाल्या खरकुंडी	भगवानपुरा	शा.प्रावि कुकडोल	गोगावां	स्वैच्छिक
10	ललिता जमरे	प्राथमिक शिक्षक	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय खरगोन	खरगोन	शा.प्रावि सिरवेल	भगवानपुरा	स्वैच्छिक

निरंतर...../12//



क्रमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	नवीन पदस्थापना का स्थान	विकास खण्ड	स्वैच्छिक/ प्रशासकीय
1	2	3	4	5	6	7	8
11	मनीष पाटीदार	प्राथमिक शिक्षक	शा.एकी.मा.वि. डोंगरचिचली	खरगोन	शा.एकी.मा.वि. मोठापूरा	खरगोन	स्वैच्छिक
12	मनीष बालके	प्राथमिक शिक्षक	शा.एकी.मा.वि. मोठापूरा	खरगोन	शा.एकी.मा.वि. डोंगरचिचली	खरगोन	स्वैच्छिक
13	देवेंद्र जोशी	प्राथमिक शिक्षक	प्रा.वि.खरीयापानी	झिरन्या	सेटेलाईट शासकीय डाबरिया फलिया	गोगावां	स्वैच्छिक
14	रामदास तोमर	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रा.वि. डाबरिया फाल्या ढाबला	भगवानपुरा	सेटेलाईट झगडीया फा	झिरन्या	प्रशासकीय
15	अमृता पाटीदार	प्राथमिक शिक्षक	प्रा.शा.चमलकापुरा	सेगांवा	शासकीय प्राथमिक विद्यालय उबदी	खरगोन	स्वैच्छिक

1. स्थानान्तरण आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर स्थानंतरित अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। स्वैच्छिक आधार पर किये गये स्थानान्तरण में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जावे। कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का एम्पलाई कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
2. एकल शिक्षक शाला एवं नवनियुक्त शिक्षक हो तो कार्यमुक्त न किया जावे।
3. स्थानान्तरित कर्मचारी का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में 'ज्वाइन' करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जावेगा।
4. स्थानान्तरित कर्मचारी को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जावेगा, परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों सेवक अन्य अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्वीकृत किया जा सकेगा। शासकीय सेवक अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि का स्वैच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइजनान" मानी जावेगी। इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(मान 0 प्रभारी मंत्री एवं कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग खरगोन

निरंतर.....//3//

पृ०क०/ 7711/आदिम/स्था० 2/2023
प्रतिलिपि-

खरगोन, दिनांक 7.7.23.....

01. निज सचिव, माननीय श्री कमल पटेल, प्रभारी मंत्री, खरगोन एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास म०प्र० भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
03. कलेक्टर, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
04. संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास तथा अनुसूचित जाति विकास इन्दौर संभा. इन्दौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला खरगोन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
06. जिला कोषालय अधिकारी जिला खरगोन ।
07. प्राचार्य, शास० उमावि०/हाईस्कूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
08. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
09. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. संबंधित श्री/ श्रीमती की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग खरगोन